डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2001—फाल्गुन 25, शक 1922

परिवहन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक 200/परि.वि./2001.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में उक्त संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 क्र. सं. 59) की धारा 28, 38, 65 तथा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए यह बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियमों की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि से पूर्व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, रायपुर द्वारा डी. के. भवन के कक्ष क्रमांक 209 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) नियम, 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात :—

(24) फीस—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभावित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	रकम (3)
		रुपये
1.	चिकित्सीय प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में	30.00
2.	नौसिखिया अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में	30.00
3.	चालान अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में—	
	प्रारूप 6 में	100.00
	प्रारूप 7 में	150.00
4.	परिवहन यान के चालक को प्राधिकार ज़ारी किये जाने के संबंध में	100.00
5.	परिवहन यान के चालक को बैज जारी किये जाने और बैज की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में	100.00
6.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में	50.00
7.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के विनिश्चय की प्रति प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
	(एक) सामान्य	50.00
	(दो) अत्यावश्यक (अर्जेंट)	100.00
8.	अपील फाइल किये जाने के संबंध में अभिलेख का निरीक्षण किये जाने के संबंध में	50.00
9.	अनुज्ञापन प्राधिकरी के विनिश्चय से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रति प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
	(एक) सामान्य	50.00
	(दो) अत्यावश्यक (अर्जेंट)	100.00
10.	अनुज्ञापन प्राधिकारी को संबोधित किये गये किसी अन्य आवेदन के संबंध में	50.00

(2) नियम, 40 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(40) फीस—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	रकम (3)
		रुपये
1.	परिचालक अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण करने के संबंध में	100.00
2.	परिचालक अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	150.00
3.	परिचालक बिल्ला (बैज) जारी करने के संबंध में	100.00

(1)	(2)	(3)
		रुपये
4.	परिचालक के बिल्ले की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	150.00
5.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में	100.00
6.	विनिश्चिय/अभिलेख की प्रति प्रदाय करने के संबंध में—	
	(एक) सामान्य	50.00
	(दो) अति आवश्यक	100.00
7.	अपील के फाइल करने से संबंधित अभिलेख के निरीक्षण के संबंध में	50.00
8.	अनुज्ञापन प्राधिकारी को संबोधित प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में	50.00

(3) नियम, 62 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(62) फीस—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	रकम (3)
		रुपये
1.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण का जारी किया जाना या उसके विस्तार और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशन—	
	(क) अशक्त यान	10.00
	(ख) मोटर सायकल या मोटर सायकल रिक्शा	50.00
	(ग) हल्का मोटरयान 1. प्रायवेट	100.00
	2. परिवहन	200.00
	(घ) मध्यम मोटरयान अथवा अन्य कोई यान जो ऊपर वर्णित न हो	200.00
2.	अपील	100.00
3.	विनिश्चय/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति—	
	(एक) सामान्य	50.00
	(दो) अत्यावश्यक	100.00
4.	विविध आवेदन-पत्र	50.00
5.	रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जारी करने के लिये	50.00
6.	उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिये—	
	(एक) हल्का मोटरयान—1. गैर-परिवहन	100.00
	2. परिवहन	200.00
	(दो) मध्यम-माल मोटरयान, मध्यम यात्री मोटरयान	300.00
	(तीन) भारी माल मोटरयान, भारी यात्री मोटरयान	500.00

(4) नियम, 145 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(145) फीस—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रभावित की जायेगी :—

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	रकम (3)
		रुपये
1.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने या उसके नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1000.00
2.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1000.00
3.	ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने या उसके नवीकरण हेतु किसी आवेदन के संबंध में	1000.00
4.	ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1000.00
5.	प्रायवेट सेवा यान के लिये अनुज्ञापत्र के दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
6.	मोटर केव के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
7.	मोटर केव के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/प्रति हस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
8.	मालयान के लिये दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
9.	मालयान के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/प्रति हस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
10.	मालयान के लिये नेशनल परमिट (राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र) दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
11.	पर्यटक (ओमनी बस) के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
12.	अखिल भारतीय पर्यटक टैक्सी केव के लिये अनुज्ञापत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	800.00
13.	मोटर केव से भिन्न परिवहन यान के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(अ) धारा 87 (1) (क) के अधीन यात्री यान के लिये	500.00
	(ब) धारा 87 (1) (ख) के अधीन माल यान के लिये	500.00
	(स) धारा 87 (1) (ग) के अधीन यात्री यान के लिये	500.00
14.	मोटर केव के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदनपत्र के संबंध में	100.00
15.	अधिनियम की धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन पत्र के संबंध में	1000.00
16.	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र में क्षेत्र या मार्गों (रूटस) के विस्तारण या उसमें फेराफार करने या उस अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन पत्र के संबंध में.	1000.00

(1)	(2)	(3)
		रुपये
17.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र के लिये (टाइपिंग) के परिवर्तन हेतु आवेदन के संबंध में .	1000.00
18.	अस्थायी अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(क) मोटर केव के लिये	100.00
	(ख) किसी अन्य परिवहन यान के संबंध में	500.00
19.	चारमास से अनाधिक की काला अवधि के लिये किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन के मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में.	500.00
20.	मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञापत्र वाले यान के प्रतिस्थापन की मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में.	500.00
21.	मोटरयान अधिनियम की धारा 82 के अधीन मोटरकेव से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञापत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1000.00
22.	मोटरयान अधिनियम की धारा 82 के अधीन मोटरयान केव के प्रत्येक अनुज्ञापत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में.	500.00
23.	अनुज्ञापत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	100.00
24.	किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	100.00
25.	शिकायत पुस्तक अभिप्रास करने हेतु आवेदन के संबंध में	100.00
26.	लोक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिये टिकटों की बिक्री हेतु ट्रेविल अधिकर्त्ता की अनुज्ञप्ति जारी किये जाने/नवीकरण करने के संबंध आवेदन के संबंध में.	5000.00
27.	ट्रेविल अभिकर्त्ता अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी किये जाने हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
28.	अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में,—	
	(एक) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञाप हेतु—	
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी. (ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	300.00
	(दो) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के आवेदन हेतु—	
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी (ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	300.00
29.	परिवहन प्राधिकारी या अपीली प्राधिकारी के अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु आवेदन के संबंध में	50.00
30.	परिवहन प्राधिकारी या अपीली प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मुख्त्यारनामा के संबंध में	50.00

(1)	(2)	(3)
		रुपये
31.	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में यदि उस बाबत् अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाइल किया जाता है.	100.00
32.	आदेशिका फीस जहां प्रत्याशियों की संख्या 5 से अधिक है	50.00
33.	अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के अभिलेखों की प्रतियों का प्रदाय किए जाने के संबंध में,—	
	(क) अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिए—	
	(एक) सामान्य	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 20.00 तत्पश्चात् के लिए रु. 10.00
	(दो) अति-आवश्यक	ऊपर खण्ड (एक) में यथा-विनिर्दिष्ट रकम की दो गुनी.
	(ख) अपील अधिकरण, राज्य परिवहन या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, के अभिलेख के किन्हीं अन्य दस्तावेजों के लिए—	
	(एक) सामान्य	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 15.00 और तत्पश्चातवर्ती रु. 5.00 प्रत्येक और पश्चात्वर्ती पृष्ठ के लिए
	(दो) अति-आवश्यक	ऊपर खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में की यथा विनिर्दिष्ट रकम की दो गुनी.
34.	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में.	5.00

टीप—(1) इस नियम के खण्ड 8 तथा 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञापत्र मंजूर/नवीकरण करने हेतु या अस्थायी अनुज्ञापत्र मंजूर करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस देय नहीं होगी यदि आवेदन वास्तविक कृषक द्वारा उसके स्वामित्व के ट्रेकर अनुयान के लिए प्रस्तुत किया गया हो.

स्पष्टीकरण—अनिव्यक्ति वास्तविक कृषक का वही अर्थ होगा जो इसके लिए भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है.

35.	अभिकर्त्ता की अनुज्ञप्ति के लिए दिये जाने/नवीकरण या अनुपूरक अनुज्ञप्ति या उसकी द्वितीय प्रति के लिए फीस निम्नानुसार होगी :—	
	(1) अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए	1000.00
	(2) प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	500.00
	(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए	1000.00
	(4) प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए	300.00 (प्रति)

(1)	(2)	(3)
		रुपये
	(5) द्वितीय प्रति जारी करने के लिए—	
	(एक) प्रमुख अनुज्ञप्ति की	250.00
	(दो) शाखा कार्यालय के लिए अनुज्ञप्ति	200.00
	(6) अपील फाइल करने के लिए	500.00
	(7)-क अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिए—	
	(एक) सामान्य	100.00
	(दो) अति आवश्यक	200.00
	(ख) अन्य किसी दस्तावेज की प्रमाणित के लिए—	
	(एक) सामान्य	प्रथम पृष्ठ के लिए 20.00 और पश्चात्वर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिए 10.00
	(दो) अति आवश्यक	ऊपर उपखण्ड (एक) में यथा-विनिर्दिष्ट रकम की दो गुनी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.